



**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

तत्काल दिनांक 15-4-2020

**-कार्यालय प्रोग-**

अधिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/बनारसी कार्यालय और इण्डियन नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी अर्पित तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-4-2020 को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश परिषद कार्यालय में डेटाक उपलब्ध हुई। डेटा में उल्लिखित द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/प्राप्तकरण/परीक्षा समाप्त पूर्ण नहीं करा गया पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के आधारे में सम्बद्धता समिति की बैठक के 14-4 में विद्यार्थी इन बनारसी प्राप्तकरण कार्यालय करने वाले पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का उल्लेख तथा तथा। सम्बद्धता समिति द्वारा ताले विद्या-विभाग और विभागात् निर्णय लिया गया -

निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें नयागत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसार जनक नाम के सम्मुख अधिकृत पाठ्यक्रम/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-04-2020 को उत्तर प्रदेश सम्बद्धता समिति की बैठक में निर्णय गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में दिना संख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विचारविमर्श जारी के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं उपाय अतिरिक्त प्रवेश समाप्त हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता	पीसीआईओ / परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	बनास	राज्य प्राविधिक अनुमोदन समता अतिरिक्त उत्तर प्रदेश विभाग- बनारसी द्वारा, पीसीआईओ द्वारा, उत्तर प्रदेश, बनारसी।	विद्यार्थी इन बनारसी	हां

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद/विद्यार्थी द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें का पूर्ण पालन करनी।
- ✓ उत्तर प्रदेश उत्तर प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1974 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विद्यार्थी/विद्यार्थी 1974 संस्था/विद्यार्थी-उत्तर उत्तर उत्तर प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं अर्पित का अनुमोदन करनी तथा उत्तर प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क तीन प्रतिशत प्रति वर्ष प्रदान करनी हेतु एक 20,190.00/- प्रति वर्ष, दो प्रतिशत प्रति वर्ष पाठ्यक्रम हेतु एक 20,000.00/- प्रति वर्ष एवं एक तथा दो प्रतिशत पाठ्यक्रम हेतु प्रतिशत प्रतिशत पाठ्यक्रम में अतिरिक्त हेतु एक 22,000.00 प्रतिशत शुल्क ही प्रवेश प्रोग/प्राप्त



## कार्यालय

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

### कार्यालय भाषा:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा लेखित सं. 2021-22 हेतु डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु आवेदित तई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सं. 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सं. 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4075-DR. A.P.J ABDUL KALAM COLLEGE OF PHARMACY,VILL-BASDEWA KUNWER POST-AMARI BAZAR, TEHSIL, HARRAIYA, BASTI-272155

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सं. 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शूलक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शूलक तीन वार्षिक वार्षिक पाठ्यक्रमों हेतु सं. 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक वार्षिक पाठ्यक्रम हेतु सं. 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक वार्षिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु सं. 22500.00/- प्रतिवर्ष शूलक ही प्रवेश्यता के लिए आवश्यक है। उपायों के अतिरिक्त छात्र-छात्रिकाओं से शूलक के सम्बन्ध में समझ-समझ पर वास्तविक रूप में निर्णय किये जाने वाले शासनदेश प्रेषणी होंगे, और तदनुसार कार्यालयी किये जाने आवश्यक होंगे। यही निर्धारण समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो प्रवेश की नवीनता पर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 2000 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किये जाने विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समझ-समझ पर निर्मित शासनदेश के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता शूलक जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए०आईसीटीआई०पीसीआई० से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कसबे गये विधि/निधमो/अधिनेमो/शासनादेशो/निर्देशो एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में सम्बन्धित उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई ब्याज दायर किया जाता है तथा दायर ब्याज के संबंध में मा. महोदय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अर्थात् (तुल्य प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से अर्थात् संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्स्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पूर्ति भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रेगुलर रोकने के सम्बन्ध में सम्बन्धित आवश्यक बातें सुनिश्चित करनी होंगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघटित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के सम्बन्ध उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये कर रही है तो उक्तगत संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, इयोग्यास, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आईसीटीआई०पीसीआई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता वाली का अनुपालन न किये जाने अथवा वाली का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०सं०- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4800

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक DR. A.P.J. ABDUL KALAM COLLEGE OF PHARMACY, VILL-BASDEWA  
KUNWER POST-AMARI BAZAR, TENSIL-HARRAJYA, BASTI-272155



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

## कार्यालय,

### संघिय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

#### उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राविप/परिषद संसो/सम्बद्धता/2022/10770

लखनऊ दिनांक 15/12/2022

#### :-कार्यालय भाव:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कमिटी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु विनियम संसोप तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दे पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थानों को सम्बद्धता पर (एस+आई)आई) द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रेषित कर दिया गया था।

पीसीआई) के पत्र संदर्भ संख्या 14-443/2022-एच/Approval Process 2022-2023/14705-09 दिनांक 03 नवंबर 2022 से दिए गए निर्देशों क्रम में प्रथम संस्थानों से शुरू में इंगित कमियों के निराकरण का विवरण एस+आई)आई) पर अपलोड करते हुए निर्दिष्ट प्रारूप पर संध्य पर दाखिल करने के लिए गए निर्देशों के अनुपालन में इन अभिलेखों के साथ-साथ संध्य पर लेकर प्रवेश की गई प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में संस्था के निरीक्षण के समय एस+आई)आई) का संचयन करना होगा।

संस्था का कोड एवं नाम : 4075-OR. A.P.J.ABDUL KALAM COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआई) द्वारा सत्र 2022-23 परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	प्रदत्त संघालित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एस+आई)सीआई)पीसीआई)आई) द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद पत्र 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली-2000, संशोधन विनियमवली-2016 तथा संध्य-संध्य पर निर्गत शासनदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क विवरण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इजी पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक एग्रेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक कमिटी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक शासनदेशों में प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासनदेशों से शुल्क के संबंध में संध्य-संध्य पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेशों प्रभावी होंगे, और अनुपालन कार्यावाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस विवरण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनताम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित जगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को संध्य-संध्य पर निर्गत शासनदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कसरे गवे विधिनिर्णय/अधिनियम/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा कसरे गवे निर्णय, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थानों का एस+आई)सीआई)पीसीआई)आई) से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संध्य-संध्य पर उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था संध्य-संध्य पर उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई शिकायत आएगी

किया जाता है तथा वापर वाद के संबंध में न. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजक वर्ष के लिए अपेक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु अनुमति प्राप्त होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०टी०सी०आई० में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अक्षर परमार्थ प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु संस्था समूह पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्रायोजक होने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विशाल-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के साथ रैपिंग टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्दिष्ट समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के जीवनकाल स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०टी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

  
(एफ०आर० खान)

सचिव

15/12/2022

एवं सं. प्राविप/परीषद संसोध/सम्बद्धता/2022/10771-11080

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक DR. A. P. J. ABDUL KALAM COLLEGE OF PHARMACY

  
(एफ०आर० खान)

सचिव